राजस्थान कौशल एवं आजिविका मिशन जयपुर

मार्गदर्शिका 2011–12

SKILL UP GRADATION AND PRE DEPARTURE ORIENTATION OF POTENTIAL EMIGRANT WORKERS

1. राजस्थान कौशल एवं आजिविका मिशन द्वारा चयनित संस्थानों के माध्यम से Skill Up Gradation and Pre departure Orientation of potential Emigrant Workers का संचालन किया जावेगा। योग्य संभावित प्रवासी श्रमिक आवश्यक पात्रता के आधार पर अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवश्यक पात्रता

- आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष
- वैध भारतीय नागरिक पासपोर्ट (Valid Indian Passport)
- विदेशी नियोक्ता का नियुक्ति पत्र/सन्देश अथवा वीजा (प्रशिक्षण के चयन में प्राथमिकता हेतु)
- कुशल एवं अनुभवी श्रमिक, आई.टी.आई. पास छात्र/छात्राऐं, विदेश में पूर्व तकनिकी कार्य करने का अनुभवी व्यक्ति, (Returnes), घरेलू कार्य सहायक (Housemaids)

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम 25 प्रशिक्षणार्थी को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। न्यूनतम संख्या 18 होगी। न्यूनतम संख्या से कम प्रशिक्षणार्थी होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी प्रकार की हानि होने पर मिशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
3. मिशन के स्वीकृति पत्र के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि की पालना की जायेगी। कार्यक्रम की रूपरेखा, विषय वस्तु, प्रशिक्षक आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदात्ता संस्थान द्वारा मिशन की स्वीकृति के अनुसार की जावेगी। प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन/संवर्द्धन का अधिकार मिशन के पास सुरक्षित हैं।
4. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सभी आवश्यक जानकारी चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही उपलब्ध की जायेगी।

5. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी द्वारा नियमित उपस्थित होना आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा कार्यक्रम मिशन की स्वीकृति के अनुसार संचालित किये जायेंगें। प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार का वाहन भत्ता मिशन द्वारा देय नहीं है।
6. योग्य चयनित प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का प्रिक्षिण शुल्क प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा नहीं लिया जावेगा।
7. मिशन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के लिये सामान्यत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवास की सुविधा अपने स्तर पर ही की जायेगी। बीमारी एवं अन्य अपरिहार्या कारणों से हुई व्यक्तिगत असुविधा एवं क्षति के लिये मिशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
8. प्रशिक्षण सफलता पूर्वक सम्पन्न होने पर प्रशिक्षण प्रदात्ता संस्थान द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेगा।
9. प्रशिक्षण का मूल्यांकन मिशन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा निश्चित अवधि में किया जावेगा जिससे आवश्यकतानुसार सुधार किया जा सकें।
10. अन्य शर्तो से मिशन द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को सूचित कराया जावेगा। किसी भी प्रकार का गतिरोध होने पर परियोजना निदेशक, आरमोल का निर्णय अन्तिम होगा।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन
जे–8– ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
ई. एम. आई. कैम्पस, जयपुर।
दूरभाष 0141–5103246/47,2705817
E–mail info@rajasthanlivelihoods.org ,
Website: www.rajasthanlivelihoods.org